न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –32/2020 (Bank Case)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019 राज0 में स्थित व कार्यरत हैं तथा पंजिकृत कार्यालय चतुर्थ फ्लोर, फेज द्वितीय, स्पेन्सर प्लाजा नं0 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002 तमिलनाडू में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री छगन (ऋणी)
   पता– रोलाना कोटा, रोलाना जिला– कोटा, राजस्थान–325601
2. श्रीमती सन्तोष कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह, (सहऋणी)
   पता– रोलाना कोटा, रोलाना जिला– कोटा, राजस्थान–325601

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित–श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 03.03.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019 राज0 में स्थित व कार्यरत हैं तथा पंजिकृत कार्यालय चतुर्थ फ्लोर, फेज द्वितीय, स्पेन्सर प्लाजा नं0 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–600002 तमिलनाडू में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.05.2019 को रूपये 3.50,000/–(अक्षरे: रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति खसरा नं0 618, पट्टा नं0 3766, मिसल नं0 09, ग्राम रोलाना, मन्दिर माताजी , सरकारी कुआं, ग्राम पंचायत विनोदखुर्द, पंचायत समिति सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा, राजस्थान–325601 में स्थित जो श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री छगन सिंह के नाम से हैं जिसका कुल क्षेत्रफल 1058 वर्ग फीट हैं (जर्ये ग्राम पंचात विनोद खुर्द पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 3766 दिनांक 31.1.2019 जो कि कार्यालय उपपंजीयक सांगोद जिला कोटा के यहां पंजीकृत हैं),** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे रूपये 3,98,253/– (अक्षरे रूपये तीन लाख इन्ठानवें हजार दो सौ तिरेपन मात्र) बकाया रकम दिनांक 09.12.2019 तक शेष देय हैं व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 16.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 16.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेपित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति खसरा नं0 618, पट्टा नं0 3766, मिसल नं0 09, ग्राम रोलाना, मन्दिर माताजी , सरकारी कुआं, ग्राम पंचायत विनोदखुर्द, पंचायत समिति सांगोद, तहसील सांगोद, जिला कोटा, राजस्थान–325601 में स्थित जो श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री छगन सिंह के नाम से हैं जिसका कुल क्षेत्रफल 1058 वर्ग फीट हैं (जर्ये ग्राम पंचात विनोद खुर्द पंचायत समिति सांगोद द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 3766 दिनांक 31.1.2019 जो कि कार्यालय उपपंजीयक सांगोद जिला कोटा के यहां पंजीकृत हैं)**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner